(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)





APPROVAL PROCESS 2019-20

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-4260518900/2019/EOA

Date: 29-Apr-2019

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2019-20

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2019-20

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2018 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2018 dated 31/12/2018 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-2852831361	Application Id	1-4260518900
Name of the Institute	R R POLYTECHNIC	Name of the Society/Trust	RAMRATTI SHAIKSHIK AVAM DHARMARTH TRUST
Institute Address	VILL-HINDUWARI, HINDUWARI, SONBHADRA, Uttar Pradesh, 231216	Society/Trust Address	S-8/389 KHAJURI GOLA VARANASI,KHAJURI GOLA,VARANASI,Uttar Pradesh,221002
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	No Table 1994	Change of Name Approved or Not	NA
Opted for Change of Site/Location	No	Change of Site/Location Approved or Not	NA Table 1 Section 1 Secti
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA .
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA Prof. a.P. Issued
Opted for Merger of Institution	No	Merger of Institution Approved or Not	NA
Opted for Introduction of New Program/Level	No	Introduction of Program/Level Approved or Not	NA .

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2019-20	NRI Approval Status	PIO / FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	CIVIL ENGINEERING	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	120	NA	NA

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING AUTOMOBILE	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION)	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA

⁺FT -Full Time,PT-Part Time

Course(s) Applied for Closure by the Institute for the Academic Year 2019-20

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Course Closure Status
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	Approved

⁺FT-Full Time,PT-Part Time

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

It is mandatory to comply all the essential requirements as given in APH 2019-20(appendix 6)

NOTE: If the State Government / UT / DTE / DME has a reservation policy for admission in Technical Education Institutes and the same is applicable to Private & Self-financing Technical Institutions, then the State Government / UT/ DTE / DME shall ensure that 10 % of Reservation for EWS would be operational from the Academic year 2019-20 without affecting the percentage reservations of SC/ST/OBC/General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the clause (1) of Article 30 of Constitution of India.

Prof. A.P Mittal Member Secretary, AICTE

Copy to:

- 1. The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
- The Registrar**, Uttar Pradesh Board Of Technical Education, Lucknow
- The Principal / Director, R R Polytechnic Vill-Hinduwari, Hinduwari,Sonbhadra, Uttar Pradesh,231216
- The Secretary / Chairman,
 Ramratti Shaikshik Avam Dharmarth Trust S-8/389 Khajuri Gola Varanasi:
 Khajuri Gola, Varanasi,
 Uttar Pradesh, 221002

[#] Punitive Action against the Institute

5. The Regional Officer,

All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

^{**} Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.







APPROVAL PROCESS 2018-19

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-3511767941/2018/EOA

Date: 04-Apr-2018

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2018-19

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the Academic Year 2018-19

Sir/Madam.

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and amended on December 5, 2017 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

Permanent Id	1-2852831361	Application Id	1-3511767941
Name of the Institute	R R POLYTECHNIC	Name of the Society/Trust	RAMRATTI SHAIKSHIK AVAM DHARMARTH TRUST
Institute Address	VILL-HINDUWARI, HINDUWARI, SONBHADRA, Uttar Pradesh, 231216	Society/Trust Address	S-8/389 KHAJURI GOLA VARANASI,KHAJURI GOLA,VARANASI,Uttar Pradesh,221002
Institute Type	Unaided - Private	Region	Northern

Opted for Change from Women to Co-Ed and vice versa	No	Change from Women to Co-Ed and vice versa Approved or Not	NA
Opted for Change of Name	ted for Change of Name No Change of Name Approved Not		NA
Opted for Change of Site	No	Change of Site Approved or Not	NA
Opted for Conversion from Degree to Diploma or vice versa	No	Conversion for Degree to Diploma or vice versa Approved or Not	NA
Opted for Organization Name Change	No	Change of Organization Name Approved or Not	NA

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2018-19

Program	Shift	Level	Course	FT/PT+	Affiliating Body (Univ/Body)	Intake Approved for 2018-19	NRI Approval Status	PIO / FN / Guif quotal OCI/ Approval Status	Foreign Collaboration // Twining Program Approval Status*
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANCE)	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	CIVIL ENGINEERING	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	ELECTRICAL ENGINEERING	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA	NA

Application No:1-3511767941 Note: This is a Computer generated Report, No signature is required. Printed By: aict00680

ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING AUTOMOBILE	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA	NA
ENGINEERING AND TECHNOLOGY	1st	DIPLOMA	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION)	FT	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	NA	NA	NA

⁺FT -Full Time, PT-Part Time

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation: - Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Prof. A.P Mittal Member Secretary, AICTE

Copy to:

- The Regional Officer,
 All India Council for Technical Education
 Govt. Polytechnic Campus
 Adjoining Directorate of Technical Education
 Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh
- The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
- The Registrar**,
 Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow
- The Principal / Director, R R POLYTECHNIC VILL-HINDUWARI, HINDUWARI,SONBHADRA, Uttar Pradesh,231216
- The Secretary / Chairman, RAMRATTI SHAIKSHIK AVAM DHARMARTH TRUST S-8/389 KHAJURI GOLA VARANASI, KHAJURI GOLA, VARANASI, Uttar Pradesh, 221002
- 6. Guard File(AICTE)

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

^{**} Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, consolidated list of Approved Institutions(bulk) will be shared through official Email Address to the concerned Authorities mentioned above.



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 www.aicte-India.org

F.No. Northern/1-3324992007/2017/EOA

Date: 30-Mar-2017

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.) Govt. of Uttar pradesh, Sachiv Bhawan, Lucknow-226001, 12A, Navin Bhawan, U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of approval for the academic year 2017-18

Ref: Application of the Institution for Extension of approval for the academic year 2017-18

Sir/Madam.

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Institutions) Regulations 2016 notified by the Council vide notification number F.No.AB/AICTE/REG/2016 dated 30/11/2016 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to

ermanent Id 1-2852831361		1-3324992007			
R POLYTECHNIC	Institute Address	VILL-HINDUWARI, HINDUWARI, SONBHADRA, Uttar Pradesh, 231216			
AMRATTI SHAIKSHIK AVAM HARMARTH TRUST	Society/Trust Address	S-8/389 KHAJURI GOLA VARANASI,KHAJURI GOLA,VARANASI,Uttar Pradesh,221002			
naided - Private	Region	Northern			
1	AMRATTI SHAIKSHIK AVAM HARMARTH TRUST	AMRATTI SHAIKSHIK AVAM HARMARTH TRUST Society/Trust Address			

Opted for change from Women to Co-ed and Vice versa	No	Opted for change of name	No	Opted for change of site	No
Change from Women to Co-ed approved and Vice versa	Not Applicable	Change of name Approved	Not Applicable	Change of site Approved	Not Applicable
Opted for Conversion from degree to diploma	No	Opted for Conversion from diploma to degree	No	Conversion (degree to diploma or vice-a- versa) Approved	Not Applicable

To conduct following courses with the intake indicated below for the academic year 2017-18

Application Id: 1-3324992007		Course	0	Affiliating Body	ved for	ved for	status	quota/	rion/Twining Αρριοναί	
Program	Shift	Level		Ell littar Pradesi		Intake Approve 2016-17	Intake Approved 2017-18	NRI Approval	PIO / FN / Gulf OCI/ Approval status	Foreign Collaborarion/ Program Appr status
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	DIPL OMA	CIVIL ENGINEERING	FULL	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA .	NA	NA

Application Number: 1-3324992007

Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Page 1 of 3 Letter Printed On:19 April 2017



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX. 011-23724183 www.aicte-India.org

ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	DIPL OMA	ELECTRICAL ENGINEERING	FULL TIME	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	DIPL	MECHANICAL ENGINEERING AUTOMOBILE	FULL TIME	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	DIPL	MECHANICAL ENGINEERING (MAINTENANC E)	FULL TIME	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA	NA
ENGINEERIN G AND TECHNOLO GY	1st Shift	DIPL	MECHANICAL ENGINEERING(PRODUCTION)	FULL TIME	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	NA	NA	NA

The above mentioned approval is subject to the condition that

R R POLYTECHNIC

shall follow and adhere to the Regulations, guidelines and directions issued by AICTE from time to time and the undertaking / affidavit given by the institution along with the application submitted by the institution on portal.

In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

Strict compliance of Anti-Ragging Regulation:- Approval is subject to strict compliance of provisions made in AICTE Regulation notified vide F. No. 37-3/Legal/AICTE/2009 dated July 1, 2009 for Prevention and Prohibition of Ragging in Technical Institutions. In case Institution fails to take adequate steps to Prevent Ragging or fails to act in accordance with AICTE Regulation or fails to punish perpetrators or incidents of Ragging, it will be liable to take any action as defined under clause 9(4) of the said Regulation.

Note: Validity of the course details may be verified at www.aicte-india.org

Prof. A.P Mittal Member Secretary, AICTE

Copy to:

The Regional Officer,

All India Council for Technical Education Govt. Polytechnic Campus Adjoining Directorate of Technical Education Vikas Nagar, Kanpur-208 002, Uttar Pradesh

- The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh
- 3. The Registrar**,

Application Number: 1-3324992007 Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Page 2 of 3 Letter Printed On:19 April 2017

Printed By: AICT00680



(A Statutory body under Ministry of HRD, Govt. of India)

Nelson Mandela MargVasant Kunj, New Delhi-110067 PHONE: 23724151/52/53/54/55/56/57 FAX: 011-23724183 <u>www.aicte-India.org</u>

Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow

- 4. The Principal / Director,
 R R POLYTECHNIC
 VILL-HINDUWARI,
 HINDUWARI,SONBHADRA,
 Uttar Pradesh,231216
- The Secretary / Chairman, RAMRATTI SHAIKSHIK AVAM DHARMARTH TRUST S-8/389 KHAJURI GOLA VARANASI, KHAJURI GOLA, VARANASI, Uttar Pradesh, 221002
- 6. Guard File(AICTE)

Note: ** - Approval letter copy will not be communicated through post/email. However, provision is made in the portal for downloading Approval letter through Authorized login credentials allotted to concerned DTE/Registrar.

Application Number: 1-3324992007 Note: This is a Computer generated Report.No signature is required.

Page 3 of 3 Letter Printed On:19 April 2017

Printed By : AICT00680

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊः दिनॉकः 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019—20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14—5—2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2019—20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यकम / प्रवेश क्षमता वृद्धि / कमी हेतु सत्र 2019—20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-9 में डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर

निम्नवत निर्णय लिया गया :-

"परिषद से पूर्व से सम्बद्ध ऐसी निम्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाएं जिन्होंने सत्र 2019—20 में सचालित कतिपय पाठ्यकमों को बंद करने एवं प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किये जाने का अनुरोध किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही सत्र 2019—20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019–20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाट्यकम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019–20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	2019-20 में अनुमोदित प्रवेश
1	4805	आर०आर० पालीटेक्निक,	मैकेनिकल इंजी (मेन्टी0)	00	00
		विलेज-हिंदुवारी,	सिविल इंजी	60	60
		सोनभद्र—231216	इलेक्ट्रिकल इंजी	120	120
			मैकेनिकल इंजी (आटो०)	60	60
			मैकेनिकल इंजी (प्रोड0)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- √ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,150.00 / प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रू० 45,000.00 / प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू० 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र / छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019—20 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- √ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना)
 विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।

- 🗸 संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रहे जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- √ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- √ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- √ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्टिभूमि, स्टाफ साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- √ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था स्निश्चित करनी होगी।
- संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यकम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

🗸 सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सजीव क्मार सिंह)

तद दिनॉक: 15-5-2019

पृ०सं०- प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2019 / 1133-2252

प्रतिलिपि:--प्रधानाचार्य / निदेशक, आर०आर० पालीटेक्निक, विलेज-हिंदुवारी, सोनभद्र-231216

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2018/888

लखनऊः दिनॉकः 15-5-2018

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2018—19 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14—5—2018 को निदेशक, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2018—19 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता / पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार / पाठ्यकम / प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2018—19 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्म में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-2 में पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा इन इंजी० पाठ्यकम संचालित करने वाली संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :--

" संलग्नक—1 में अंकित तकनीकी पाठ्यकमों से संबंधित डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक—1 में अंकित विवरण के अनुसार संस्थाओं को सत्र 2018—19 हेतु निहित सम्बद्धता शर्तों के अधीन यथावत् प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2018—19 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यकम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :--

क्र0 सं0	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यकम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा सत्र 2018-19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2018–19 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1 805	805	आर०आर० पालीटेक्निक, विलेज—हिंदुवारी, सोनभद्र—231216	मैकेनिकल इंजी (मेन्टी०) सिविल इंजी इलेक्ट्रिकल इंजी	00	60
				60	60
				60	60
			मैकेनिकल इंजी (आटो०)	60	60
			मैकेनिकल इंजी (प्रोड0)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्त

- √ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- √ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा पिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यकमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यकम सहित) हेतु रू०— 30,000.00/— प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यकमों हेतु रू०— 21,500.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त-िकया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय—समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2018—2019 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- √ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियाँ तथा उप समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना)
 विनियमावली—2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त
 रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- √ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- 🗸 संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- √ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विमाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीचे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- √ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक
 होगा।
- √ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्टिभूमि, स्टाफ, साज—सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- √ संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में
 समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- √ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण सिमित के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि—भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- √ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में
 नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(संजीव कुमार सिंह) सचिव

पृ०सं०— प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2018/889—1518 तद् दिनॉकः 15-5-2018 प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य/निदेशक, आर०आर० पालीटेक्निक, विलेज-हिंदुवारी, सोनभद्र-231216

> (संजीव कुमार सिंह) सचिव

कार्यालय, सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2017/1475

लखनऊः दिनॉकः 15-5-2017

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2017—18 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 10—5—2017 को सम्बद्धता समिति की बैठक परिषद कार्यालय में बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2017—18 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यकम/प्रवेश क्षमता वृद्धि हेतु सत्र 2017—18 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुकम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-5 में डिप्लोमा इंजी० पाठ्यकम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर

निम्नवत् निर्णय लिया गया :--

" उक्त प्रकरण पर समिति द्वारा विचार—विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि कमांक—1, कमांक—2 एवं 3 पर उल्लिखित संस्थान को ए०आई०सी०टी०ई से पाठ्यकम संशोधन के अनुसार सत्र 2017—18 हेतु निम्नानुसार प्रवेश क्षमता के अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान कर दी जाये।"

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2017—18 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यकम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :--

क्र0 सं0	संस्था का नाम	संस्था कोड	सत्र 2017—18 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का नाम	परिषद द्वारा सत्र 2016—17 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन्न 2017—18 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	आर0आर0 पालीटेक्निक, विलेज—हिंदुवारी, सोनभद्र—231216	805	मैकेनिकल इंजी (मेन्टी०) सिविल इंजी इलेक्ट्रिकल इंजी मैकेनिकल इंजी (आटो०) मैकेनिकल इंजी (प्रोड०)	00 60 60 60	60 60 60 60

सम्बद्धता हेतु शर्ते

- 🗸 संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम सिंहत) हेतु रू०─ 30,000.00 /─ प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों हेतु रू०─ 20,000.00 शुल्क ही प्रत्येक छात्र / छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्रों से शुल्क के सम्बन्ध में समय─समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2017─2018 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है। तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

√ संस्था को (उ०प्र० प्राविधिक शिक्षा सिमितियाँ तथा उप सिमितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना)
विनियमावली—2000 की शतों का अनुपालन करना होगा।

- √ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह
 जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- √ संस्था को समय—समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- √ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।

√ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यकम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।

✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

√ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

 ✓ संस्था को अपने वेबवाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिभूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होस्म+

√ संस्था को शिक्षण—प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में

समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

√ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित / संचालित पाठ्यकम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यकम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।

√ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार

अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता /2017/1476-1975

तद दिनॉकः 15-5-2017

प्रतिलिपि:-प्रधानाचार्य / निदेशक, आर०आर० पालीटेक्निक, विलेज-हिंदुवारी, सोनभद्र-231216

(संजीव कुमार सिंह)